कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :– 41/2006 दायर दिनांकः–12/07/2006
निर्णय दिनांकः–08/07/2015

1–श्री भूरा पुत्र श्री धनजी पटेल उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम खुमानपुर पटवार क्षैत्र जोगपुर तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर राज.।
2–श्री मोगा पुत्र श्री धनजी पटेल उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम खुमानपुर पटवार क्षैत्र जोगपुर तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर राज.।

–वादी–

बनाम

1– श्री अमरजी पुत्र मावजी जाति पटेल उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम खुमानपुर पटवार क्षैत्र जोगपुर तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर राज.।
2–श्री रामजी पुत्र मावजी जाति पटेल उम्र 57 वर्ष निवासी ग्राम खुमानपुर पटवार क्षैत्र जोगपुर तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर राज.।
3–राजस्थान सरकार भूमिघारी मार्फत तहसीलदार, तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर ।

–प्रतिवादीगण–

<u>वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा कुऍ से मोटर हटाने अन्तर्गत सीरियल नंबर 35 जनरल व धारा 183 एवं 188 रा.का.अधि एवं राज.भू.अधिनियम।</u>

मौजा खुमानपुर पटवार क्षेत्र जोगपुर तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर का खाता नंबर 107/93 अराजी नंबर 68,71,72,76,467,471,494,505,733,738,770,797,कुल 12 खेत कुल रकबा 5 बीघा 14 बीस्वा संवत् 2059–62 कृर्षि भूमि वादीगण के संयूक्त खाते में होकर वादीगण के कब्जे काश्त में है। वादीगण के उपरोक्त कृर्षि भूमि में से खसंरा नंबर 68 रकबा 9 बिस्वा किस्म बीड के पश्चिमी हिस्से के कोने पर वादीगण के स्वामित्व का 20–25 साल पुराना कुआं है। जिस कुएं को वादीगण ने काफी राशि खर्च कर खुदवाया है। तथा प्रतिवर्ष हजारों रूपया खर्च कर कुएं को गहरा करवाया है। वर्तमान में कुआं तकरीबन 15 फीट चौडा तथा 80 फीट गहरा है। इस वर्ष कुएं की गहराई 80 फीट होने से कुएं में पानी आना शुरू हुआ है। वादीगण के खसंरा नंबर 68 के उत्तर ,पश्चिमी तथा दक्षिण दिशा में प्रतिवादी सं 01 व 02 के खाते के कमश खसंरा नं 69,66,व 67 स्थित है। प्रतिवादीगण के उक्त तीनों खसंरे वादीगण के खसंरा नंबर 68 के पश्चिमी हिस्से से सटे हुए है। मौके पर समस्त खसंरो पर मेड पाल बनी हुई है जिससे मौके पर नक्शे ट्रेस अनुसार खसरों का विभाजन देखने से ही नजर आता है।

प्रतिवादी सं 01 व 02 शातिर किस्म के लोग है प्रतिवादी सं 01 व 02 ने सन 1986 में अपने खाते के खसंरा नंबर 69 पर कुआं खुदवाने बैक ऑफ बडौदा शाखा सागवाडा से ऋण लिया लेकिन प्रतिवादी सं ने बैंक से ऋण राशि प्राप्त कर आज तक अपने खाते के खसंरा नंबर 69 पर कोई कुऑ नहीं खुदवाया है। प्रतिवादी सं 1 व 2 का एक कमरा उनके खाते के खसंरा नंबर 67 पर बना हुआ है। प्रतिवादी सं 01 व 02 ने जाल साजी कर अपना कुआं खसंरा नंबर 69 पर बता अजमेंर विधुत मण्डल बिजली विभाग से झुठे तथ्यों पर बिजली कनेक्शन अपने कमरें खसंरा नंबर 67 पंर लिया है जबकि खसंरा नं 69 पर प्रतिवादी सं 01 व 02 का कोई कुआं नहीं हैं।

प्रतिवादी सं 01 व 02 ने जाल साजी कर अपना कुआं खसंरा नं 69 पर बता अजमेर विधुत मण्डल बिजली विभाग से झुठे तथ्यों पर बिजली कनेक्शन अपने कमरें खसरा नंबर 67

Scanned by CamScanner

पर लिया हैं। जबकि खसंरा नंबर 69 पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कोई कुआं नहीं है। प्रतिवादी सं 01 व 02 दिनांक 19.06.2006 को वादीगण की गैर हाजरी में वादीगण के खाते व कब्जे के खसंरा नंबर 68 में अनाधिकृत प्रवेश कर वादीगण के खसंरा नंबर 68 के कूएं में तकरीबन 100 फीट का पीवीसी प्लास्टिक पाईप सवा दो इंच गोलाई का लगा पाईप के साथ बिजली का तार व सबमर्सिबल पम्प लगा कुएं में पाईप के सहारे सबमर्सिबल पम्प लगा दिया हैं तथा पम्प का कनेक्शन प्रतिवादी सं 01 व 02 के खसंरा नंबर 67 पर बने कमरें से लेकर पम्प चालू कर वादीगण के कुएं से पानी निकालना चालू कर दिया है।

वादीगण को जब कुएं में पाईप लगा सबमर्सिबल पम्प लगाने की जानकारी अगले दिनांक 20.06.2006 को हुई तो वादीगण ने प्रतिवादी सं 01 व 02 से आपत्ति व विरोध किया तथा कुएं से पम्प निकाल लेने कहाँ तो प्रतिवादी सं 01 व 02 झगडे पर आ गये तथा पम्प निकालने से इन्कार कर दिया। प्रतिवादी सं 01 व 02 को वादी के कब्जे व खाते के खसंरा सं 68 पर वादीगण के स्वामित्व के कुएं पर वाटर पम्प लगाने का कोई अधिकार या हक नहीं है वादीगण प्रतिवादी सं 01 व 02 द्वारा लगाये अनाधिकृत वाटर पम्प को कुएं से हटवाने तथा वाटर पम्प को चालू कर कुए से पानी निकालने से रोकने के अधिकारी हैं।

प्रतिवादी सं 1 व 2 दिनांक 19.06.2006 से लगातार वादीगण के खसंरा नंबर 68 पर स्थित वादीगण के कुएं से पम्प के जरिये रोजाना हजारों लीटर पानी अनाधिकृत तरीकें से बगेर किसी आधार के निकाल अपने खसंरो पर पाईप से ले रहे है जिससे वादीगण को प्रति दिन रूपया 100/- की दर से पानी का नुकसान हो रहा है। वाद कारण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी सं 1 व 2 दिनांक 19.06.2006 को प्रतिवादी सं 1 व 2 ने वादीगण की गैर हाजरी में वादीगण के कुएं में सबमर्सिबल पम्प लगाने तथा पम्प से पानी निकालने तथा वादीगण द्वारा मौखिक पम्प निकालने का कहने पर भी पम्प नहीं हटाने से विरूद्व प्रतिवादी सं 1 व 2 उत्पन्न हुआ।

प्रतिवादी सं 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाय कि वह वादी के खसंरा नंबर 68 पर स्थित वादी के स्वामित्व के कुएं से पम्प लगा कर अथवा किसी प्रकार पानी स्वयम् अथवा अपने मजदूरों से नहीं निकालें। प्रतिवादी सं 1 व 2 को पाबन्द किया जाय कि उन्होंने वादी की गैर हाजरी में वादीगण के कुएं में जो गैर कानूनी रूप से पीवीसी पाईप डाल सबमर्सिबल पम्प लगा दिया हैं उसे स्वयम अपने खर्चे से हटा लेवे अथवा वादीगण को अधिकार दिया जाय कर हटाने का खर्चा प्रतिवादी सं 1 व 2 से प्राप्त कर सकें। वादीगण के कुएं से जब तक पम्प नहीं हटा लिया जाता तब तक वादीगण को प्रतिवादी सं 01 व 02 को प्रति दिन हर्जाना रूपया 100/- की दर से जब तक पम्प नहीं हटता दिलवाया जाय। प्रतिवादीगण द्वारा

जवाब पेश किया कि वादीगण के स्वामित्व का कोई कुँआ नहीं है उपरोक्त ~~[illegible]~~ कुआँ सार्वजनिक है जिस पर वादीगण का अधिकार होने के अलावा प्रतिवादीगण का भी अधिकार है, उपरोक्त कुँआ लगभग 20 वर्ष पूर्व प्रतिवादीगण ने खुदवाया था जिससे प्रतिवादीगण अमरजी एवं रामजी तथा अन्य नाथू पिता रूपसी, हकरजी पिता डूँगर, सुखलाल पिता धुलजी,गोकलजी पिता अकई एवं एवं हेगजी पिता धुलजी सभी का हक एवं स्वामित्व है। उपरोक्त कुँआ वादीगण के खाते संख्या 68 में होकर एक किनारे पर स्थित है जिसमें प्रतिवादीगण के खेत मिले हुए है तथा तीनों तरफ प्रतिवादीगण के खेत स्थित है तथा सबने मिलकर उपरोक्त कुँऐं को खुदवाकर बनवाया है प्रतिवादीगणों ने कुँऐं को गहरा करवाया है उसकी एग्रीमेन्ट की फोंटोकापी भी संलग्न है। 1986 में कुआँ खुदवाने के लिये बैक ऑफ बडौदा शाखा सागवाडा से ऋण लिया तथा तभी से प्रतिवादीगण ने उपरोक्त कुआँ , कोने पर वादीगण की सहमति से खुदवाया तथा आज से लगभग 20 वर्ष से अधिक समय से प्रतिवादीगण उपरोक्त कुएं के पानी का उपयोग निरन्तर बेरोकटोक कर रहे है तथा वादीगणों को भी यह पता है कि मौके पर मात्र एक कुआँ है जिसमें प्रतिवादीगणों ने लोन लेकर कुएँ को गहरा करवा कर बिजली का कनेक्शन लेकर

Scanned by CamScanner

पानी का उपयोग अपने खेतों में कर रहे है मौके पर प्रतिवादीगण का कुएं के पास कमरा भी बना हुआ है। बिजली विभाग ने मौके पर आकर जांचकर तथा कुएं का अवलोकन कर बिजली का कनेक्शन प्रतिवादी के नाम से 20 वर्ष पूर्व दिया है तथा आज भी बिजली का बिल प्रतिवादीगण लगभग 20 वर्षो से निरन्तर अदा कर रहे है बिजली का बिल प्रतिवादीगण के नाम से आ रहा है।

दिनांक 19.06.2006 को पीवीसी प्लास्टिक पाईप व सबमर्सिबल पम्प नही लगाया है बल्कि प्रतिवादीगण ने लगभग 20 वर्ष पूर्व बिजली की मोटर व बाद में सबमर्सिबल पम्प लगाया है तथा निरन्तर कुँए से पानी निकाल कर अपने खेतों में सह भागीदारों के साथ पानी पिला रहे है बिजली की मोटर व सबमर्सिबल पम्प बहुत पहले का है तथा वादीगण को भी इसकी जानकारी है। वादीगण व प्रतिवादीगणों के खेत के मेड़ के पास कोने में बहुत पुराना कुआं सभी ने मिलकर खुदवाया है। पक्षकारों के आपस में रिश्ता होने से सन् 1985–86 में बैंक ऑफ बडौदा शाखा सागवाडा से प्रतिवादीगण के नाम से ऋण लिया तथा नया कुआ खोदा गया, ऋण की पास बुक की फोटो स्टेट साथ में संलग्न है। सन् 1986 में प्रतिवादीगण के नाम से उपरोक्त कुँए पर विधुत कनेक्शन लेकर विधुत मोटर लगवायी ,विधुत बिल की फोटो स्टेट कापीयॉ भी संलग्न है। उक्त कुँए में पानी की कमी होने से दिनांक 18.03.2000 को प्रतिवादीगण ने अम्बाडा निवासी शिवराम पिता दितीया डामोर से कुँआ गहरा कराया गया, उक्त कुँआ गहरा करवाने के रूपये 22,500/– अक्षरे बाईस हजार पांच सौ रूपये चार गज (नव फीट) का ढेका का भुगतान प्रतिवादीगणें द्वारा किया गया जिसकी फोटों स्टेट संलग्न है। दिनांक 01.022001 को उक्त ठेकेदार श्री शिवराम को और कुँआ गहरा कराने के रूपया 25000/– अक्षरें पच्चीस हजार रूपये पॉच गज (10 फीट) का ठेका प्रतिवादीगण द्वारा दिया गया। उक्त कुएं के अन्दर दिनांक 20.11.2002 को गौतम बोरवेल उदयपुर के माध्यम से आडा बोर करवाकर रूपये 9000/– अक्षरे नव हजार रूपया का भूगतान प्रतिवादीगण द्वारा किया गया। एक मात्र कुएं का दौनो पक्षकार बराबर–2 हिस्सा के पानी का उपयोग आपसी सहमति से आज दिन तक करते आ रहे है। उक्त कुऑ लगभग बीस वर्ष पूर्व आपसी सहमति से भूमि में पानी देखने वाले जानकार द्वारा दोनों पक्षकारों के खेतों के किनारे खोदा गया है तथा विधुत कनेक्शन प्रतिवादीगण के नाम से तथा विधुत बिल भी प्रतिवादीगण आज तक अदा करते आ रहे है।

वादीगण द्वारा साक्ष्य में मौजा खुमानपुर पटवार हल्का जोगपुर के खाता सं 107 कुल किता 12 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा संवत् 2059–62 की जमाबन्दी (EX1) ग्राम खुमानपुर के खसंरा सं 65,66,67,68,69 व 72 का नक्शा ट्रैस प्रमाणित (EX2) , खसंरा सं 68,71,72 व 76 का पटवारी पटवार हल्का जोगपुर ग्राम खुमानपुर का मौका पर्चा (EX3) आदि प्रस्तुत किए। गवाह के रूप में वादी सं 1 भूरा पुत्र धनजी पटेल निवासी खुमानपुरं का शपथ पत्र (PW1) मोगा पुत्र धनजी पटेल का शपथ पत्र (PW2) शिवा पिता दीतिया डामोर का शपथ पत्र (PW3) आदि प्रस्तुत किया। वादी सं 1 व 2 से वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह पूर्ण की गई। साक्ष्य प्रदर्श करवाए गए।

प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में शिवराम पिता दीतिया डामोर निवासी अम्बाडा ,द्वारा प्रतिवादी सं 1 के साथ कुआं गहरीकरण हेतु किए भूगतान का ईकरारनामा (EXD1), श्री शिवा उर्फ शिवराम पिता दीतिया निवासी अम्बाडा के साथ किए गए कुआं गहरीकरण का इकरारनामा (EXD2) गौतम बोरवेल उदयपुर को भूगतान की रसीद (EXD3) बैक आफ बडौदा शाखा सागवाडा की अमरजी ,रामजी पिता मोगजी एवं नाथू पिता रूपाजी की कृर्षि ऋण पासबुक (EXD4) बिजली निगम को बिल भूगतान की रसीद दिनांक19/03/1994 व 20/01/1994 (EXD5)(EXD7) अमरजी पिता मावजी पाटीदार के नाम के बिजली बिल

Scanned by CamScanner

भूगतान की रसीदे (EXD8) व (EXD9) अमरजी पिता मावजी पाटीदार के नाम जारी बिजली बिल (EXD10,11,12,13) अमरजी पिता मावजी पाटीदार के द्वारा लिखित इकरारनामा (EXD14) आदि प्रस्तुत किए गए। गवाह के रूप में अमरजी पिता मावजी पाटीदार ,रामजी पिता मावजी पाटीदार ,हकरजी पिता डूंगरजी पाटीदार ,नाथू पिता रूपसी पाटीदार सभी निवासीयान खुमानपुर (DW1,DW2,DW3,DW4) के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। वकील वादी द्वारा गवाहों की जिरह पूर्ण की गई। साक्ष्य प्रदर्श करवाए गए।

पत्रावली में वकील उभय यथा की बहस सुनी गई । पत्रावली में मौजूद रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

तनकी सं 01:– आया वादीगण स्वंय की खातेदारी आ.नं. 68 मौजा खुमानपुर रकबा 9 बिस्वा किस्म बीड में कुआं है जिस पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा कर उस के वाटर पम्प लगाकर कनेक्शन बिजली किया जाकर पानी निकलता जा रहा है।

जिम्में वादीगण

निर्णय:– वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2059–2062 खाता सं 107 का खसंरा सं 68 रकबा 9 बिस्वा किस्म बीड है जिसमें वादीगण द्वारा कुआं इंगित किया है। खसंरा सं 68 प्रस्तुत नक्शा ट्रैस के अनुसार खसंरा सं 72,67,68, एवं 66 से धिरी है। कुंआ खसंरा सं 67 ,66 व 68 की सीमा के निकट स्थित है। पटवारी मौका रिपोर्ट के अनुसार भी कुंआं सम्पूर्ण रूप से वादीगण की आराजी में स्थित है। वादीगण ने अपने बयान में यह कथन किया है, कि उनके तीन खेत है। कुंआ बीड में स्थित है। जिसके निर्माण को लगभग 20 वर्ष हुए है। कुएं के तीन ओर प्रतिवादी के खेत है। कुंआ सार्वजनिक नहीं है तथा किसी के साथ मिलकर नहीं खुदवाया है। कुआं खुदवाने हेतु मेंरे द्वारा कोई ऋण नहीं लिया है। कुंए से प्रतिवादीगण दो वर्ष से पानी ले रहे है। वादीगण के अनुसार के शिवराम पिता दीतिया निवासी अम्बाडा को नहीं जानते है। वादीगण के अनुसार इस कुएं के सम्बन्ध में पूर्व में वाद किया गया था जिसमें हम प्रतिवादीगण थे तथा फेसला उनके पक्ष में हुआ था। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि कुंआ वादीगण की आराजी पर स्थित है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा खातेदार की सहमति के बगैर बिजली कनेक्शन लेकर पानी लिया जा रहा है तो उसे वैध नहीं माना जा सकता । अतः तनकी का निर्णय बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता है।

तनकी सं 02:– आया वाद वर्णित कुंआ वादीगण की खातेदारी भूमि में नहीं होकर सार्वजनिक है जिसका उपभोग उपयोग वादी एवं प्रतिवादी के अलावा अन्य भी करते है। तथा बिजली का कनेक्शन प्रतिवादी के नाम है।

जिम्में प्रतिवादी

निर्णय:– प्रस्तुत साक्ष्य में प्रतिवादीगण द्वारा एक स्टाम्प पर लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है जो अपंजीकृत एवं असत्यापित है। यह श्री शिवराम पिता दीतिया डामोर निवासी अम्बाडा द्वारा श्री अमरजी पिता मावजी पाटीदार निवासी खुमानपुर के मध्य कुंआ गहरा करने के भूगतान सम्बन्धी उल्लेख है जिस पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर न होकर रमणलाल एवं शिवराम के हस्ताक्षर है। इसी प्रकार एक अन्य दस्तावेज इकरारनामा शिवा पिता दीतिया डामोंर निवासी अम्बाडा एवं अमरजी पिता मानजी ,भूरा , मेंगा पिता धनजी निवासी खुमानपुर के मध्य प्रस्तुत किया है जिसपर शिवराम ,भूरा व अमरजी के हस्ताक्षर है। गवाह के रूप में भेमजी एवं हकरजी नामक व्यक्तियों के हस्ताक्षर है। जिसमें रू 25,000 में पांच गज गहरा करने के अनुबंध का उल्लेख है। इसके अलावा प्रतिवादी सं 01 के पक्ष में जारी बोरवेल फर्म की भूगतान रसीद एवं बिजली बिल प्रस्तुत किए है। प्रस्तुत साक्ष्यों के विवेचन एवं बयानों के गवाह से स्पष्ट है कि कुआं आ.नं 68 में स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार वादीगण है। पटवारी की मौका रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त कुआं खसंरा नं 68 में स्थित है। उक्त कुंए पर कृर्षि कनेक्शन

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं 01 के नाम से होना जाहिर किया गया है परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे खसंरा नं 68 पर स्थित कुंए पर कनेक्शन लिया गया हो। ऐसा स्पष्ट होता है। तो यह कनेक्शन अवैध की श्रेणी में आता है। कुंआ गहरीकरण के इकरारनामें पर वादी सं 01 के हस्ताक्षर है एवं खसंरा सं 68 का भी उल्लेख है परन्तु भूगतान सम्बन्धी इकरारनामें में किसी भी विपक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। अतः प्रस्तुत साक्ष्यों को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। यदि प्रतिवादी सं 01 के नाम से कुएं पर लगा कनेक्शन होना एवं इकरारनामा किया जाना सत्यमान लिया जावें तो भी यह अवैध एवं नियमानुसार नहीं माना जा सकता। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी का निर्णय बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता है।

तनकी के निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के खसंरा नं 68 पर स्थित वादी के स्वामित्व के कुएं से पम्प लगाकर अथवा अन्य किसी प्रकार से पानी नहीं निकालें ।

प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कुएं में लगाया गया पम्प हटा लेंवें। इस आशय की डिक्री जारी हों। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हों।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner